भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2477

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2023/27अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया जाना है

लोक महत्व के पदों पर पदासीन व्यक्ति

2477. श्री मनीश तिवारी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोक महत्व के पद पर पदासीन व्यक्ति (पीईपी) की परिभाषा क्या है;
(ख) क्या पीईपी अवधारणा वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) से उत्पन्न हुई है जो आतंक और मादक पदार्थों के वित्तपोषण पर केंद्रित है और क्या पीईपी उचित ढंग से केवल तभी लागू होना चाहिए जब इन अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह होने का कारण हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार आरबीआई मास्टर परिपत्र, पीएमएलए नियमों और प्रासंगिक कानूनों में संशोधन के माध्यम से पीईपी परिभाषा का विस्तार करने पर विचार कर रही है, जिसमें संभावित रूप से प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, विधायक, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, आईएएस/ आईपीएस, आईएफएस और अन्य अखिल भारतीय सेवा अधिकारी शामिल होंगे;
(घ) सरकार के धनशोधन रोधी और आतंक वित्तपोषण रोधी कानूनों हेतु एफएटीएफ सिफारिशों के साथ संरेखित करने के लिए पूर्व-पारस्परिक मूल्यांकन प्रयासों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या एफएटीएफ ने भारत के अनुपालन पर कोई टिप्पणी या सिफारिश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या एमईआर चर्चा में गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ कानून के कथित हथियारीकरण पर 'शेडो रिपोर्ट'शामिल थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) सरकार की आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए वित्तीय संस्थानों के आकलन और एनपीओ क्षेत्र के जोखिम से निपटने हेतु 2010 के बाद की गई कार्रवाइयों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (घख) के अनुसार 'लोक महत्त्व के पद पर पदासीन व्यक्ति' की परिभाषा इस प्रकार है: -

"लोक महत्त्व के पदों पर पदासीन व्यक्ति" (पीईपी) ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी अन्य देश द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें राष्ट्रों या सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के पदाधिकारी शामिल हैं;

(ख): एफएटीएफ की सिफारिशों में सिफारिश 12, लोक महत्त्व के पद पर पदासीन व्यक्तियों से संबंधित है। उक्त अनुशंसा के अनुसार, पीईपी ग्राहकों के संबंध में, वित्तीय संस्थानों को कुछ अतिरिक्त और उन्नत उचित परिश्रम उपाय करने की आवश्यकता होती है।

(ग): ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

(घ): सरकार ने एफएटीएफ की सिफारिशों के तकनीकी अनुपालन की समीक्षा की है और पिछले दस महीनों में निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के तहत विभिन्न संशोधनों को अधिसूचित किया::

(i) दिनांक 07.03.2023 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.आ.1074 (अ) के माध्यम से धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में संशोधित किया।

(ii) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दिनांक 07.03.2023 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.आ.1072(अ)।

(iii) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दिनांक 03.05.2023 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.आ. 2036(अ)।

(iv) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दिनांक 09.05.2023 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.आ. 2135(अ)।

(v) दिनांक 04.09.2023 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 652(अ) के माध्यम से धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में संशोधन किया।

(vi) दिनांक 17.10.2023 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 745(अ) के माध्यम से धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में संशोधन किया।

(ङ): अभी तक ऐसी कोई टिप्पणी या सिफारिश नहीं की गई है। ऐसी कोई भी सिफारिश या टिप्पणी एफएटीएफ पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट का हिस्सा होगी, जिसे जून 2024 में अपनाए जाने की संभावना है।

(च): एमईआर विचार-विमर्श, एफएटीएफ के एएमएल/सीएफटी पारस्परिक मूल्यांकन दस्तावेज़ के चौथे दौर की प्रक्रियाओं और एफएटीएफ और 2013 एफएटीएफ पद्धति के अनुसार आयोजित किया गया था।

(छ): (i) जोखिम, रुझान और कार्यप्रणाली रिपोर्ट, 2019 और राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन, 2022 के भाग के रूप में वित्तीय क्षेत्रों का क्षेत्रीय जोखिम मूल्यांकन किया गया था।

(ii) आतंकवादी वित्तपोषण और कई अन्य डेटा स्रोतों के लिए पहचाने गए जोखिम थिएटरों के आधार पर, गैर-लाभकारी संगठन एनपीओ क्षेत्र के टीएफ दुरुपयोग के जोखिम का आकलन किया गया।

*****